मेड़ता रेलवे फाटक को स्थाई रूप से बंद करने पर जताया रोष

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर जताया रोष

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेडता गांधी चोक पर समपार संख्या 13 फाटक के स्थाई रूप से बंद करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस फाटक के बंद को लेकर मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू व भाजपा नेताओं सहित कई आम जन नागरिक लगातार विरोध में थे। इसी बीच शुक्रवार को मेड़ता कांग्रेस के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर विरोध प्रदर्शन किया। रेल मंत्री अश्विनी कुमार के नाम उप जिला कलेक्टर को समपार संख्या 13 बिचली फाटक को बंद करके पर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया।

पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि,चेयरमैन सलीम मोयल और कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला की मौजूदगी में ज्ञापन देकर बताया कि यह मेड़ता रेलवे के पास बीचली फाटक रेलवे क्रॉसिंग स्थित है जिसको वर्तमान में बंद करने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है क्योंकि यह फाटक का रास्ता आखलिया, सरकारी अस्पताल, पुलिस थाना, फल मंडी, रोडवेज बस स्टैंड, चौपाटी, पशुचिकत्सालय, आईटीआई कॉलेज, आरटीडीसी होटल इत्यादि जगह पर जाने का मुख्य रास्ता है जिसके कारण आम जन को भारी परेशानी हो रही है, अत: आपसे निवेदन है कि इस फाटक को खुलवाने के लिए कहा गया, अगर आने वाले 72 घंटे में इसका निदान नहीं किया गया तो एक बड़ा जन आंदोलन हो सकता है।

मेडता तहसीलदार को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सोपते हुवे।

- कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर विरोध प्रदर्शन किया

इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा,गांधी दर्शन जिला सयोजंक जगदीश नारायण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष सलीम मोयल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला कांग्रेस नगर विधानसभा प्रत्याशी शिवरतन वाल्मीकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य लालाराम नायक, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र बापेड़िया, पार्षद जीशान अली कुरेशी, अमजद केके ,सुनील सबलानिया,जवरीलाल दाधीच,पार्षद विजेश जांगिड़,उदयराज, जुबेर उस्मानी, दौलतराम गोदारा, सोनू साकिर, रहमत अली गोरी, सलीम सूटर व राजू इत्यादि मौजूद थे।

घनिष्टा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिये चयनित

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। जिला स्तरीय रायफल शूटिंग टूर्नामेंट में होनहार बिटिया ने कांस्य पदक जीतकर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए हुई जगह बनाई। किशनगढ़ नगर परिषद में बतौर कमिश्नर रह चुकी सीता वर्मा की बिटिया घनिष्टा मेघवंशी ने जिला स्तरीय रायफल शूटिंग टूर्नामेंट 2024-25 अंडर 14 साल गर्ल्स कैटेगरी में कांस्य पदक जीतकर परिवारजनो को गौरान्वित कर दिया। चयनित टीम ने मेधावी छात्रा घनिष्टा का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिये चयन किया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में अध्ययनरत घनिष्टा के कांस्य पदक जीतने पर स्कूल ने अपने ऑफिशियल सोशल प्लैटफॉर्म्स पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। घनिष्टा ने उपलब्धि के किये श्रेय नाना, माता-पिता, मौसियों, गुरुजन व प्रशिक्षकों सहित अपनी स्वर्गवासी नानी को दिया है।

जोंस गंज फाटक आंशिक बंद रहेगा

अजमेर, (कासं)। जोंसगंज एवं कैरिज वर्कशॉप के मध्य स्थित समपार फाटक संख्या 01/स्पेशल 29 सितम्बर 2024 तथा 30 सितम्बर 2024 को आंशिक बन्द रहेगा।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक /नियमन/24-25/438 **उजरदारी नोटिस** दिनांक : 26.09.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री कमलेश कुमार लालवानी पुत्र स्व. श्री घनश्यामदास लालवानी निवासी पुराने सदर थाने के पीछे, छावनी गली, ब्यावर ने पुराना म्यु.नं. 4515 नया म्यु.नं. 7/232, छावनी गली नं. 01, मकान नं. 26 क्षेत्रफल 125.44 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अत: इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नही होगी।

सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)

पूर्व : आम रास्ता पश्चिम : छावनी रोड
उत्तर : मनीष जी का मकान दक्षिण : भैरूलाल जी का मकान

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./24-25/भवन/533 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 26/9/2024

श्रीमती गौरी झॉ पत्नी स्व. श्री मधुकर झॉ निवासी 712 / 31 गली नं. 1 कोठी चैतन्य मार्ग नगरा अजमेर एवं सुश्री आरूषि झॉ पुत्री स्व. श्री मधुकर झॉ निवासी 712 /31 गली नं. 1 कोठी चैतन्य मार्ग नगरा अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 712/31 है, का एक भाग है जो वाकै चैतन्य मार्ग नगरा अजमेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 73.58 वर्गमीटर है। भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।

पूर्व - रोड पश्चिम - आम रास्ता 9फिट चौडा
उत्तर- अन्य की सम्पति दक्षिण - अन्य की सम्पति जावांद बालुपुरा रोड

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ, अजमेर (राज.)

क्रमांक/न.पा.कि /प्रा.अ./कृ.भू.नि./2024/366 **लोक सूचना** दिनांक : 27.09.2024

आवेदक 1. श्री लाला राम 2. श्री जगदीश प्रसाद यादव 3. श्री मंगल चंद पुत्रगण श्री राम कंवार यादव निवासी अहीरो की ढाणी सावतसर किशनगढ जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के नियम 03 बी के अन्तर्गत का आवासीय प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ़-अजमेर	सांक्तसर	503/1, 506, 507, 511/1, 512	खसरा नम्बर 503/1, 506, 507, 511/1 512 क्षेत्रफल रकबा 4.0369 हैक्टेयर यानि 40369

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वांक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.....को जारी की गयी ।

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

'अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर करें कार्रवाई'

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला पुलिस को शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों व रोहिंग्याओं की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अवैध ई-रिक्शा संचालन पर भी सख्ती होगी। उन्होंने कहा कि शहर में लोगों को परेशान कर रहे भूमाफिया को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करें।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को सर्किट हाऊस में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से कानून व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि दरगार सम्पर्क सड़क, दिल्ली गेट व शहर के अन्य हिस्सों में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसी जाए। कई बार इन अपराधों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की भूमिका सामने आती है। इन सभी के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर धरपकड़ की जाए। इन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जाए। दरगाह सम्पर्क सड़क पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना शीघ्र हो। बजट घोषणा की अनुपालना में हरिभाऊ उपाध्याय नगर में थाने के निर्माण व शुरूआत का काम जल्द करवाया जाए। इसी तरह शहर में भूमाफियाओं के लोगों को परेशान करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

- विधानसभा अध्यक्ष ने की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से चर्चा

भगतसिंह की जयंती मनाएंगे आज

अजमेर, (कासं)। वैशाली नगर स्थित शहीद भगतसिंह उद्यान में शनिवार को प्रात: 8.15 बजे भारत माता के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगतसिंह की जयंती उद्यान विकास समिति के अध्यक्ष एन के माथुर की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। उद्यान विकास समिति की कोर कमेटी के सदस्य राजेंद्र गांधी ने बताया कि इस अवसर पर उद्यान में स्थापित शहीद भगतसिंह की प्रतिमा को फूल मालाओ से सजाया जाएगा।

कोर कमेटी के अध्यक्ष हरीश गिदवानी के अनुसार प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमे प्रतिभागियों द्वारा देश भक्ति से ओतप्रोत गानों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके लिए किशन लखवानी को संयोजक बनाया गया।

शिकायतों के त्वरित और उचित निराकरण हेतु निर्देश दिए

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टीपीएडीएल कंपनी की ओर से को सुबह दस से दोपहर एक बजे तक हजारीबाग पावर हाउस कार्यालय में अजमेर वासियों के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमे कपंनी के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओ की समस्याए सुनी और कई समस्याओ का हाथो-हाथ समाधान भी किया।

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 30 उपभोक्ताओ ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित शिकायत, नए बिजली के कनेक्शन, लो वोल्टेज की समस्या, मीटर रिप्लेसमेंट और बिजली सप्लाई से संबंधित अन्य कई प्रकार की समस्याओं की सुनवाई हुई, जिसमें से 17 शिकायतों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से ही निस्तारण कर दिया गया एवं बची हुई 13 शिकायतों के त्वरित और उचित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए है, अत: उनका भी शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व टीपीएडीएल अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रबंधन के संबधित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया।

सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओ की समस्याए सुनी।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल : अजमेर

क्रमांक : -1032 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 27.09.24

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-म-7 वैशाली नगर अजमेर श्री प्रफुल्ल चन्द्र सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी को आवटित कर दिनांक 02.09.1974 को मकान का भौतिक कब्जा सौपा गया था। मण्डल द्वारा श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी एवम् श्रीमती इंदु सोगानी पत्नी श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी के पक्ष में संयुक्त नाम जोड़ने के आदेश दिनांक- 26.12.1990 को जारी किये गये श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी पुत्र श्री माणक चन्द सोगानी एवम् श्रीमती इंदु सोगानी पत्नी श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी द्वारा दि. 27.12.1990 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। श्री प्रफुल्ल चन्द सोगानी एवम् श्रीमती इंदु सोगानी ने आवास का बैचान श्री राजकिशोर माथुर पुत्र स्व. श्री देवी दयाल माथुर, श्रीमती सुधा माथुर पत्नी श्री राजकिशोर माथुर एवं श्री विक्रांत माथुर (Minor) व श्री विराट माथुर (Minor) पुत्र श्री राजकिशोर माथुर को कर दिया गया। श्री राजकिशोर माथुर की मृत्यु दिनांक 01.12.2011 को हो चुकी हैं। श्री विक्रांत माथुर एवं श्री विराट माथुर पुत्रगण स्व. श्री राजकिशोर माथुर ने मुख्तयारनामा आम श्रीमती सुधा माथुर पत्नी स्व. श्री राजकिशोर माथुर के पक्ष में निष्पादित किया गया हैं। श्रीमती सुधा माथुर पत्नी स्व. श्री राजकिशोर माथुर वहेसियत खुद व वहेसियत मुख्तयारआम श्री विक्रांत माथुर एवं श्री विराट माथुर पुत्रगण स्व. श्री राजकिशोर माथुर ने आवास का बैचान श्री कमल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री नंदकिशोर जी माथुर एवं श्रीमती शिखा माथुर पत्नी श्री कमल किशोर माथुर को दिनांक 28.09.2017 को कर दिया गया, जोकि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द सं. 1942 में पृष्ठ सं. 6 क्रम सं. 2017030011051 32 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 4760 के पृष्ठ सं. 51 से 63 पर दिनांक- 29.09.2017 को चस्पा किया गया हैं। अब श्री कमल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री नंदकिशोर जी माथुर एवं श्रीमती शिखा माथुर पत्नी श्री कमल किशोर माथुर ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। श्री कमल किशोर माथुर पुत्र स्व. श्री नंदकिशोर जी माथुर एवं श्रीमती शिखा माथुर पत्नी श्री कमल किशोर माथुर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल : अजमेर

क्रमांक : -979 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 19.09.24

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-झ-21, आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 60.00 व.मी. मूल आवंटी श्री भावन दास टिलवानी पुत्र श्री गोधूमल को आवंटित कर 15.01.1980 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री भावन दास टिलवानी पुत्र श्री गोधूमल द्वारा दिनांक 20.08.1999 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया है। श्री भावन दास टिलवानी की मृत्यु दिनांक 09.08.2013 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार टिलवानी पुत्र स्व. श्री भावन दास टिलवानी द्वारा आवास को अपने पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया था। मण्डल द्वारा श्री सुरेश कुमार टिलवानी पुत्र स्व. श्री भावन दास टिलवानी के पक्ष मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण के आदेश दिनांक 05.01.2023 को जारी किये गये थे। श्री सुरेश कुमार टिलवानी पुत्र स्व. श्री भावन दास टिलवानी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती मुस्कान तालवानी पत्नि श्री अनिल तालवानी को दिनांक 15.06.2023 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 839 में पृष्ठ संख्या 45 क्रम संख्या 202303002107876 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3354 के पृष्ठ संख्या 211 से 223 पर दिनांक 15.06.2023 को चस्पा किया गया है।

अब श्रीमती मुस्कान तालवानी पत्नि श्री अनिल तालवानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती मुस्कान तालवानी पत्नि श्री अनिल तालवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

बेस्ट टूरिस्ट विलेज से सम्मानित हुआ देवमाली

ग्राम पंचायत देवमाली का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढा

अजमेर/मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड के निकटवर्ती ग्राम पंचायत देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज बनने पर 27 सितंबर शुक्रवार को दिल्ली में सम्मानित किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मसूदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवमाली में ग्रामीणों के सादगी एवं ग्रामीण जीवन शैली के साथ दशकों पुरानी परम्पराका निर्वाह करने पर प्रशासन के प्रयासों के चलते केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया था। जिसको लेकर शुक्रवार को दिल्ली पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में जगदीश धनकड़ द्वारा ग्राम देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच पूजा गुर्जर, पूर्व जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, तत्कालीन उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर, एवं भगवान देवनारायण मंदिर के पुजारी आयोजित समारोह में मौजूद रहे। देवमाली को सम्मानित करने पर सम्पूर्ण गांव में खुशी की लहर दौड़ गई व एक दूसरे का मिठाई खिलाकर मुहं मीठा कराया गया व गांव में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया।

- दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में जगदीश धनकड़ द्वारा ग्राम देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया

देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज बनने पर 27 सितंबर शुक्रवार को दिल्ली में सम्मानित किया गया।

जिला कलेक्टर ने डॉक्यूमेंट्री की थी लॉन्च: पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल्या देवमाली पर केंद्रित रूलर टूरिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी तत्कालीन उपखंड अधिकारी भारत राज गुर्जर के निर्देश में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में देवमाली के वास्तविक ग्रामीण जन जीवन और पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शन किया गया इस लघु डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को देवमाली गांव के वार्षिक स्वरूप गांव उसकी परंपरा लोक जीवन और संस्कृत से रूबरू करवाया गया था।

अग्रसेन मेले में लोगों ने लुफ्त उठाया

अजमेर, (कासं)। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के पहले दिन संपन्न हुए अग्रसेन मेले में समाज के अग्रबंधुओं ने बढ़ चढक़र हिस्सा लिया अग्रसेन जयंती महोत्सव के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी ने बताया कि मेले में हजारों की संख्या में अग्रबंधु युवा व मातृशक्ति शामिल हुईए 40 से ज्यादा लगी स्टॉल्स पर अग्र बंधुओ ने विभिन्न व्यंजनों का चटकारों के साथ आनंद लिया साथ ही गेम्स खेल कर मेले का लुफ्त उठाया मेले का समाजसेवी सुरेश गोयल ने फीता काट कर किया। मंच पर आयोजकों द्वारा कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया।

शुक्रवार प्रात: वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ो की संख्या में युवा वर्ग व मातृशक्ति ने भाग लिया, अपने-अपने वाहनों पर अग्र बंधु महाराजा अग्रसेन जी के जयकारें लगाते हुए चल रहे थे। रैली के आगे ढाई सौ बच्चे साइकिल पर सवार पर्यावरण बचाओ का संदेश दे रहे थे। जीप में महाराजा अग्रसेनजी का चित्र लगा हुआ था जिसके साथ भजन गाते हुए अठा बंधु चल रहे थे। रैली को समाज सेवी गणेशी लाल अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली केसरगंज स्थित सीताराम बाजार से शुरू हुई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल अग्रसेन पाठशाल पर संपन्न हुई। रैली का शहर भर में जगह-जगह सामाजिक धार्मिक सहित व्यापारिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्य संयोजक अशोक पंसारी ने बताया कि अग्रवाला पाठशाला के प्रांगण में समाजसेवी लक्ष्मी नारायण हटूका के मुख्य आतिथ्य में धवजारोहण के साथ 9 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2024-25/444 **लोक सूचना** दिनांक : 26.09.2024

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र.सं	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	1. कमलेश मेहता पुत्र प्रकाशचन्द मेहता हिस्सा 1/4 जाति जैन निवासी बाफना गली नयाबास ब्यावर जिला ब्यावर खातेदार । 2. जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री दिलीप कुमार जैन हिस्सा 1/4 जाति जैन निवासी मेवाडी गेट के अन्दर श्री टॉवर ब्यावर जिला ब्यावर खातेदार । 3. महमद काठात पुत्र अली काठात 1/2 जाति मेरात सा. देह खातेदार	जालिया प्रथम	593	0.7770
2.	1. महमद काठात पुत्र अली काठात हिस्सा 1/2 जाति मेरात सा. देह खातेदार ।			

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वांक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 26/9/ 24 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम CHAUDHARI KRUSHIL KUMAR PRAKASH BHAI है। जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में CHAUDARI KRUSHIL KUMAR PRAKASH BHAI दर्ज है जो गलत है। इसी प्रकार मेरा सही व वास्तविक नाम SUNITA BEN है। जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों में PINKI दर्ज है जो गलत है। मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा व मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम दर्ज करे।

चौधरी सुनीता बेन प्रकाश भाई
बोकावास, डपार्ट महसाणा गुजरात

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र LAKSH SANKHLA के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसकी माता का नाम PARMESHWARI दर्ज हो गया जो गलत है जबकि उसकी माता का सही व वास्तविक नाम PARMESHWARI SANKHLA है। मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में सही व वास्तविक नाम दर्ज करे।

-मुकेश कुमार सांखला म.न.2155
मोची मौहल्ला नसीराबाद

कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पुर रोड़ बाईपास, भीलवाड़ा 311001 (राज.) dto.bhilwara.tport@rajasthan.gov.in Ph. No. 01482-260444

क्रमांक:-परि/भील/2024-25/3012-16 **नोटिस** दिनांक - 26.09.2024

वाहन संख्या RJ06-GD-3489
श्री नितेश कुमार सालवी पुत्र श्री दुर्गेश कुमार सालवी
निवासी- शास्त्रीनगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड, भीलवाडा
नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 2814 दिनांक 05.09.2024
फाईनेंसर- MAHINDRA & MAHINDRA FIN.SER.LTD.

वाहन संख्या RJ51-GA-0318
श्री लादू लाल वैष्णव पुत्र श्री देवी लाल वैष्णव
निवासी-वार्ड नं. 9, मानक्यास, त. माण्डल, जिला भीलवाडा
नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 3011 दिनांक 26.09.2024
फाईनेंसर: TATA MOTORS FINANCE SOLUTION LTD.

वाहन संख्या RJ06-GD- 2198
श्री बालाजी मोटर्स, प्रो. हरि राम चौधरी
निवासी - जाटो का मोहल्ला, बालाजी मंदिर के पास, सियार पिपली , जिला भीलवाडा
नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 3010 दिनांक 26.09.2024
फाईनेंसर- AXIS BANK LTD

वाहन संख्या RJ06-GB-9643
श्री प्रकाश कीर पुत्र श्री भगवान लाल कीर
निवासी - कीर खेडा, सांगानेर, जिला भीलवाडा
नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 2986 दिनांक 24.09.2024
फाईनेंसर- TVS CREDIT SERVICES LTD.

वाहन संख्या RJ06-GD-0189 श्री रामपाल शर्मा निवासी - आर-डी-14, न्यू बापू नगर, भीलवाडा नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.सं. 2813 दिनांक 5.9.2024 फाईनेंसर : TATA MOTORS FINANCE LTD.

विषय: फाईनेंसरों के नाम फेश आर.सी. जारी करने बाबत् ।

उक्त वाहन के फाईनेंसरों ने अपने कब्जे में लेकर अपने नाम से फ्रेश आर.सी. जारी करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। कार्यालय के उपरोक्त पत्रांक से रजि0 एडी0 द्वारा नोटिस भिजवाया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। तथा न ही किसी प्रकार की आपत्ति/अभ्यावेदन प्रस्तुत हुआ है। समाचार पत्र में पुन: नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है। नोटिस प्रकाशन के सात दिवस तक वाहन की गुल आर.सी. इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे या जो भी आपति / अभ्यावेदन हो मय साक्ष्य / प्रमाण के अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर दें। इस अवधि उपरान्त कोई आपति स्वीकार्य नहीं होगी एवं तत्पश्चात U/S 51 (5) Of CMV ACT 1988 के तहत फाईनेंसर के नाम फेश आर. सी. जारी कर दी जायेगी ।

जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

निःशुल्क शिविर में 143 रोगीयो की जांच

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। सेवा भारती की और से केसरीचंद चौधरी सेवा सदन धान मंडी में आयोजित आयुर्वेदिक फिजियोथैरेपी नि:शुल्क शिविर में 143 रोगियों की जांच की गई। वैद्य संतोष शुक्ला, इलेक्ट्रोपैथी डॉ विनय सिंह चौहान, प्रवीण गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ सविता कश्यप, फिजोथेरेपिस्ट ताईन मोईन ने सेवाएं दी। अध्यक्ष गिरधर पुरोहित ने विभिन्न प्रकल्प के बारे में जानकारी देते हुए कहा की आमजन की सेवा ही मुख्य उदेश्य है। मौसमी बीमारियों मलेरिया डेंगू के बचाव के साथ जोड़ों में दर्द, गठिया बाई, मधुमेह, अस्थमा, एलर्जी, पथरी से पीड़ित रोगियों की जांच कर नि:शुल्क दवा वितरण की गई। कोषाध्यक्ष घीसालाल जैन, मंत्री दिनेश चाष्टा, जिलासहमंत्री राजेश नवहाल, करमचंद जैन, रामनिवास सामरिया, अमित गोस्वामी धर्मेंद्र सोनी, प्रेमचंद मगनानी, महेंद्र जैन, विनोद जैन, घनश्याम सोनी, शंकर सोलंकी आदि मौजूद रहे।

मेयर को नहीं घेर पाए पार्षद, मुद्दों से भटके

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा शुक्रवार को औपचारिक बनकर रह गई। साधारण सभा में एकजुट पार्षद मुद्दों से भटक गए और अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर अधि